

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 497 / 2025

राकेश कुमार सैनी

—अपीलार्थी

## बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

## —प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 13.02.2025

## उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री कैलाश जांगिड़ अधिवक्ता  
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावडा, सदस्य  
असलम मेहर, सदस्य

## आदेश

- मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
- अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर उप खण्ड कार्यालय, नगर जालोर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण अपने कार्यालय स्थान से करीब 500 किमी दूर डिविजन कार्यालय रतनगढ, जिला चुरू में किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी के पिताजी को गम्भीर बीमारी मस्तिष्क ट्यूमर से ग्रसित है, जिनका ईलाज निरन्तर चल रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश जारी होने से पूर्व कार्यरत था वहां पर ही कार्यरत रखा जावे।
- हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

4. अपीलार्थी द्वारा उठाया गया प्रश्न विचारणीय है। अतः अपील ग्राह्य की जाती है। अपीलार्थी की पारिवारिक एवं चिकित्सकीय परिस्थितियों को देखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-2) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं अपीलार्थी को वहीं पर कार्यरत रखा जावे जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)  
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)  
सदस्य